

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समर्पित नगरीय परिवहन निधि (डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड) प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 19.01.2016 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :

सर्वश्री :

- 1- श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अबरार हुसैन, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- शिव जनम चौधरी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- उमा शंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, उप सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- ए०के० सिंह, निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र०।
- 8- सुखेन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र०।
- 9- सुनील प्रशाद, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र०।

बैठक में सर्वप्रथम सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा समर्पित नगरीय परिवहन निधि (डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड) में उपलब्ध धनराशि व उसके उपयोग के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया। डी०यू०टी०एफ० नियमावली -2013 के अन्तर्गत निधि का उद्देश्य तथा फण्ड से अवमुक्त धनराशि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति का अवलोकन समिति द्वारा किया गया। तत्पश्चात् निम्नांकित एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई एवं संस्तुतियाँ की गईं-

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1-समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारित विभिन्न राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के अधीन संस्तुत/अनुमोदित अवसंरचना सहित नगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए क्षमता अन्तर का वित्त पोषण

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति के संज्ञान में यह आया कि प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि० द्वारा बस क्रय करने के मद में उपलब्ध रू० 800.00 लाख में से कलपुर्जा आदि के क्रय हेतु धनराशि व्यय कर ली गयी है। इस पर समिति द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। इस हेतु कड़े निर्देश सभी एस०पी०वी० को भेजा जाय व प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि० के विरुद्ध की गयी वित्तीय अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में कड़ी कार्यवाही की जाय। इस शर्त के साथ समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल रू० 4500.00 लाख की धनराशि निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लेने के साथ-साथ एस०पी०वी० से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मासिक प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। एस०पी०वी० वार विवरण निम्नांकित है:-

क्र०सं०	एस०पी०वी० का नाम	धनराशि
1	लखनऊ	रू० 800.00 लाख घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित किया गया है। यह धनराशि बस क्रय करने के मद में उपलब्ध धनराशि से समायोजित की

O/S.C.

23/2/16

J.D., UTD

22/01/2016

FC, UTD

		जायेगी। बसों का क्रय नहीं किया जायेगा।
2	कानपुर	रु0 1363.00 लाख घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु
3	इलाहाबाद	रु0 443.00 लाख घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु
4	वाराणसी	रु0 413.00 लाख घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु
5	मेरठ	रु0 1018.00 लाख (घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 422.00 लाख एवं परिवहन निगम की अवशेष देयताओं की पूर्ति हेतु रु0 596.00 लाख)
6	आगरा-मथुरा	रु0 339.00 लाख घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु

एजेण्डा बिन्दु सं0 2-नगरीय परिवहन से सम्बंधित अध्ययनों का आयोजन।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित अध्ययनों के विषय तथा किन नगरों में अध्ययन कराये जायेंगे, इस पर चर्चा हुई। इस संबंध में समिति द्वारा सैद्धान्तिक रूप से नगरीय परिवहन के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कराये जाने की सैद्धान्तिक अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि प्रत्येक अध्ययन हेतु नगर को चिन्हित कर इस विषय पर अध्ययन किया जाना है, इस पर मत स्थिर किया जायेगा तथा नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पृथक-पृथक सुविचारित प्रस्ताव मुख्य सचिव, उ0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदित कराये जायेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु सं0 3-विभिन्न क्रिया-कलापों और अध्ययन के लिए परामर्शदाताओं को आबद्ध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यय-एस0पी0वी0 के प्रतिफलों की सघन समीक्षा की व्यवस्था।


समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि टंकक आदि के पद पर लिए जाने वाले संविदा कर्मियों को नीलिट (NIELIT- National Institute of Electronics and Information Technology) एवं आउट सोर्सिंग से लिया जायेगा। समिति द्वारा इस मद में रु0 43.00 लाख व्यय करने का अनुमोदन देने के साथ-साथ नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं0 4ए-नगरीय संचालन हेतु परिवहन निगम के बस अड्डे एवं कार्यशालाओं का उपयोग।

समिति द्वारा इसके दृष्टिगत कि वर्तमान में एस0पी0वी0 द्वारा परिवहन निगम की अवस्थापनाओं का उपयोग किया जा रहा है, इस मद में कोई धनराशि आवंटित न करने की संस्तुति की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं0 4बी-बस बेड़े की वृद्धि करना-24 सीटर बस सेवा

बस बेड़े की वृद्धि करने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार सीटिंग क्षमता की पूर्ण निर्मित बसें क्रय की जायेगी। बसों का क्रय केन्द्रीयकृत रूप से किया जायेगा तथा क्रय समिति में नगर विकास विभाग के अधिकारी भी होंगे। समिति द्वारा बस सेवा को नाम दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति की गई कि नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में उच्च स्तरीय औपचारिक अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी। समिति द्वारा इस मद में रूपए 5407.00 लाख व्यय करने का अनुमोदन देने के साथ-साथ नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने संस्तुति की गई।



एजेण्डा बिन्दु सं० 4सी-प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन।

समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए इस मद में रूपए 582.00 लाख व्यय करने की संस्तुति की गई। संस्तुत धनराशि नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० के निवर्तन पर रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 4डी-नगर निगम, लखनऊ के ट्रैफिक पार्क के उच्चीकरण का प्रस्ताव।

समिति द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा अनुमोदित करते हुए रू० 300.00 लाख की धनराशि नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० के निवर्तन पर उपलब्ध कराये जाने संस्तुति की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं० 4ई-लखनऊ नगर के नगरीय बस स्टाप एवं बस स्टेशनों को ग्रीन लखनऊ के आधार पर उच्चीकृत करने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा अनुमोदित करते हुए रूपए 1000.00 लाख नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० के निवर्तन पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने संस्तुति की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं० 4एफ-नगरीय परिवहन निदेशालय के अन्य व्ययों हेतु व्यवस्था।

समिति द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा अनुमोदित करते हुए रूपए 113.00 लाख नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० के निवर्तन पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं० 4जी-प्रवर्तन/ट्रैफिक नियन्त्रण दल।

समिति द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा अनुमोदित करते हुए रूपए 395.00 लाख नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० के निवर्तन पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि कार्य की द्विरावृत्ति/डुप्लीकेसी न हो।

एजेण्डा बिन्दु सं० 4एच-हेल्पलाइन स्थापित करना- नगर बस हेल्पलाइन सेवा।

समिति द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा अनुमोदित करते हुए रूपए 21.00 लाख नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० के निवर्तन पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गई। समिति द्वारा हेल्पलाइन का नाम दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुत किया गया कि नगर विकास विभाग इस हेतु उच्च स्तरीय औपचारिक अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही करेगा।

एजेण्डा बिन्दु सं० 4आई-आई०टी०एम०एस० प्रणाली लागू करना।

समिति द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा अनुमोदित करते हुए रूपए 3000.00 लाख नगरीय परिवहन निदेशालय, उ०प्र० के निवर्तन पर धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गई। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन कार्यदायी संस्था रहेगी।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार-विमर्श तथा संस्तुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।



11/7/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-12एमएस (2)/नौ-5-2016-83सा/2009टीसी
लखनऊ: दिनांक 15 फरवरी, 2016

हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।